

आदेश

कार्यवाही विवरण

पत्रावली पेश हुई। बाद वाली क्रम हाजिरी में खाजि दे चुका है। बिना देते के पत्रावली को चलाने का अधिकार नहीं है। अतः पत्रावली में इसी स्तर पर खाजि डिमा जाता है। पत्रावली केवल सुमा होकर दर्ज नम्बर ले चुका हो तथा बाद तकमील जाहा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
नवलगढ

(ई. एम.) एम. ई. डि. ए.
अवलगढ



अवलगढ न्यायालय
निर्णय-...